

7

संख्या-947/एक-10-2026

प्रेषक,

अरुण प्रकाश,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,

उ०प्र०।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 14-09-2026

विषय:- प्रदेश के 05 जनपदों में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रापिकल मेट्रोलोजी (IITM), पुणे द्वारा 05 वज्रपात डिटेक्शन सेंसर्स के इन्स्टालेशन/मेंटेनेंस हेतु धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10438/रा०आ०का० /2026-27 दिनांक 03.08.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश में प्रदेश के 05 जनपदों (बलरामपुर, एटा, खीरी, सोनभद्र एवं मेरठ) में आई.आई.टी.एम. पुणे द्वारा अपने संसाधनों द्वारा स्थापित किये जा रहे 05 वज्रपात डिटेक्शन सेंसर्स के इन्स्टालेशन/मेंटेनेंस कार्य हेतु 02.00 लाख रुपये प्रति साइट के अनुसार 05 साइट्स हेतु कुल रु 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) की धनराशि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 14.07.2026 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण/परियोजना प्रदेश में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रापिकल मेट्रोलोजी (आई.आई.टी.एम.), पुणे द्वारा 10 लाइटनिंग सेंसर्स स्थापित किये जाने की परियोजना के अंतर्गत आई.आई.टी.एम., पुणे द्वारा अपने संसाधनों से प्रदेश के 05 जनपदों (बलरामपुर, एटा, खीरी, सोनभद्र एवं मेरठ) में स्थापित किये जा रहे 05 वज्रपात डिटेक्शन सेंसर्स के इन्स्टालेशन/मेंटेनेंस हेतु 02.00 लाख रुपये प्रति साइट के अनुसार 05 साइट्स हेतु कुल रु 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) की धनराशि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से निर्गत करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राहत आयुक्त, उ०प्र० के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र संख्या-32-02/2026-NDM-I दिनांक 31.07.2026 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। राहत आयुक्त, उ०प्र० द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(2) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व राहत आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ व सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों का होगा।

- (3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।
- (4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2027 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2027 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
- (6) जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- (7) उक्त परियोजना के अन्तर्गत निविदा जारी किये जाने एवं कार्यादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- (8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- (9) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के सम्बन्ध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एन0डी0एम0ए0 द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹0 10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250001010500-24 वृहद निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटीगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
ARUN PRAKASH
(अरुण प्रकाश)
Date: 14-09-2026 19:38:12
विशेष सचिव।

संख्या- 947 (1)/एक10-2026- तदिदनांक 1

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र0।

- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- जिलाधिकारी, बलरामपुर, एटा, खीरी, सोनभद्र एवं मेरठ।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 8- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अरूण प्रकाश)

विशेष सचिव।

—

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-30/09/2026

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

947
001-947
51 राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान प्रगामी	24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0 , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 223939385	1000000 223939385
	योग	वर्तमान प्रगामी	1000000 223939385	1000000 223939385

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया दस लाख
रूपया बाइस करोड़ उनतालीस लाख उनतालीस हजार तीन सौ पंचासी

(अरविन्द कुमार सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी